भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-04

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा लगाए गये ठेका मजदूर

***4. श्री पी. एल. पुनियाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय की नवरत्न व महारत्न कंपनियों में लगे हुए ठेका मजदूरों की संख्या और उनके कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन-कौन सी कंपनियां या कंपनियों की यूनिट्स प्रिंसिपल एम्प्लायर के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं तथा उनके अंतर्गत कितने मज़दूर आते हैं; और

(ग) क्या कंपनियां कई वर्षों से कार्य कर रहे मज़दूरों को नियमित करने का विचार रखती हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा लगाए गए ठेका मजदूर" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 04 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत, एक महारत्न कम्पनी अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड और तीन नवरत्न कम्पनियां अर्थात पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) और पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) हैं। इन कंपनियों द्वारा 37,455 ठेका मजदूरों को लगाया गया है।

विद्युत क्षेत्र कंपनियों द्वारा आऊटसोर्स किए गए कार्य/गतिविधियां मुख्य व्यवसाय के साथ जुड़ी होती हैं और गैर मूलभूत प्रकृति की होती हैं, जिसमें मुख्य रूप में आंतरिक व्यवस्था, उद्यान, सुरक्षा, कैन्टीन, परिवहन सेवाएं, विविध सिविल अनुरक्षण कार्य, कार्यालय उपस्करों का अनुरक्षण आदि जैसी सेवाएं/कार्यकलाप शामिल होते हैं।

(ख) : जहां भी आऊटसोर्स किया गया कार्य ठेकेदारों के कार्मिकों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है, संबंधित यूनिट/प्रोजेक्ट/स्टेशन, ठेका मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रधान नियोक्ता के रूप में पंजीकरण प्राप्त करते हैं। पीएफसी, नई दिल्ली ने प्रधान नियोक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। विद्युत मंत्रालय की नवरत्न और महारत्न कंपनियों की विभिन्न यूनिटों द्वारा लगाए गए ठेका मजदूरों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) : जहां तक ठेका मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और इसके केन्द्रीय नियम 1971 के प्रावधानों का संबंध है, इस अधिनियम के अंतर्गत ठेका मजदूरों के नियमितीकरण की कोई स्कीम नहीं है।

****

अनुबंध

"सरकारी क्षेत्र की विद्युत कंपनियों द्वारा लगाए गए ठेका मजदूर" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 04 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध।

****

विद्युत मंत्रालय की नवरत्न और महारत्न कंपनियों की विभिन्न यूनिटों द्वारा लगाए गए ठेका मजदूर

I: एनटीपीसी

क्रम सं.	**संयंत्र का नाम**	**लगाई गए ठेका मजदूरों की संख्या**
1	अंता	104
2	औरैया	49
3	बदरपुर	620
4	दादरी	1609
5	फरीदाबाद	101
6	फरक्का	1336
7	झनोर	249
8	कहलगांव	1840
9	कवास	95
10	कायमकुलम	72
11	कोलडैम	189
12	कोरबा	2327
13	रिहंद	2658
14	रामागुंडम	679
15	सिम्हाद्री	679
16	सिंगरौली	1132
17	सीपत	2120
18	तालचेर कनीहा	1307
19	तालचेर थर्मल	547
	सकल योग	**17713**

II-पीएफसी

ठेका मजदूरों की संख्याः 166

III-आरईसी

ठेका मजदूरों की संख्याः 123

IV. <u>पीजीसीआईएल</u>

क्रम सं.	**प्रधान नियोक्ताओं के रूप में पंजीकृत स्थापना का क्षेत्र-वार ब्यौरा**	**लगाए गए ठेका मजदूरों की संख्या**
	पूर्वी क्षेत्र-I	1717
1	एआरए एस/एस	
2	बांका एस/एस	
3	पुसौली एस/एस	
4	आरएचक्यू पटना	

क्रम सं.	प्रधान नियोक्ताओं के रूप में पंजीकृत स्थापना का क्षेत्र-वार ब्यौरा	लगाए गए ठेका मजदूरों की संख्या
5	नमकुम एस/एस	
6	चायबासा एस/एस	
7	पटना एस/एस	
8	गया एस/एस	
9	लखसराय एस/एस	
10	बेरो एस/एस	
11	पुरनिया एस/एस	
12	मुजफ्फरपुर एस/एस	
13	बिहार शरीफ एस/एस	
14	डाल्टनगंज एस/एस	
15	चंदवा एस/एस	
16	जमशेदपुर एस/एस	
17	किशनगंज एस/एस	
18	सिलीगुड़ी सब स्टेशन	
	पूर्वी क्षेत्र-II	
19	न्यू सिलीगुड़ी सब स्टेशन	
20	बीरपारा सब स्टेशन	1429
21	दुर्गापुर सब स्टेशन	
22	मैथॉन सब स्टेशन	
23	मालदा सब स्टेशन	
24	दलखोला सब स्टेशन	
25	गंगटोक सब स्टेशन	
26	बेहरमपोर सब स्टेशन	
27	रंगपो सब स्टेशन	
28	न्यू मेली सब स्टेशन	
29	सुभाषग्राम सब स्टेशन	
30	आरएचक्यू, कोलकाता	
31	एचवीडीसी अलीपुरदौर	
32	राजरहाट परियोजना	
33	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	
	ओडिशा परियोजना	
34	अंगुल	
35	बारीपाड़ा	
36	भुवनेश्वर	207
37	बोलंगीर	
38	इंद्रावती	
39	जेयपोर	
40	कनीहा, (तालचेर)	
41	कियोंझर	
42	पंदियाबिली	
43	रेंगाली	
44	राउरकेला	
45	सुंदरगढ़	
	पश्चिमी क्षेत्र-I	
46	पावरग्रिड नागपुर	1264
47	पावरग्रिड वर्धा	
48	पावरग्रिड औरंगाबाद	
49	पावरग्रिड मपूसा	

क्रम सं.	प्रधान नियोक्ताओं के रूप में पंजीकृत स्थापना का क्षेत्र-वार ब्यौरा	लगाए गए ठेका मजदूरों की संख्या
50	पावरग्रिड वरौरा	
51	पावरग्रिड पार्ली	
52	पावरग्रिड मुंबई	
53	पावरग्रिड पुणे (शिकारपुर)	
54	पावरग्रिड पुणे (तालेगांव)	
55	पावरग्रिड भद्रावती	
56	पावरग्रिड सोलापुर	
57	पावरग्रिड कोल्हापुर	
58	पावरग्रिड रायपुर (कुम्हारी)	
59	पावरग्रिड दुर्ग (मदेसारा)	
60	पावरग्रिड रायगढ़	
61	पावरग्रिड कोरबा	
62	पावरग्रिड बिलासपुर	
63	पावरग्रिड चंपा	
64	पावरग्रिड सिओनी	
	पश्चिमी क्षेत्र-II	
65	बड़ौदा, आरएचक्यू	
66	वगोदिया जीआईएस	3815
67	बोइसर	
68	देहगाम	
69	खंडवा	
70	इंदौर	
71	बीना	
72	इटारसी	
73	नवसारी	
74	वापी	
75	ग्वालियर	
76	जबलपुर	
77	सतना	
78	राजगढ़	
79	पिराना	
80	शुजालपुर	
81	विंध्याचल	
82	बंसकंठा	
83	भचोउ, राजकोट, राधनपुर, सुरेंद्र नगर और भुज	
	दक्षिणी क्षेत्र-I	
84	आरएचक्यू, सिकंदराबाद	
85	नागार्जुन सागर एसएस	
86	पलासा एसएस	2066
87	कुरनूल एसएस	
88	विशाखापट्टनम एसएस	
89	गूटी एसएस	
	दक्षिणी क्षेत्र-II	
90	अरासुर	
91	अरियालुर	
92	बैंगलोर	1704
93	बिदादी	

94	बीजापुर	
95	धर्मपुरी	
96	हसन	
97	हिरीयुर	
98	होसुर	
99	कलिवंदापट्टू	
100	कराईकुडी	
101	करूर	
102	कोच्चि	
103	कोलार	
104	कोविलपट्टी	
105	कोझीकोड	
106	मदुरै	
107	मैसूर	
108	नरेंद्र	
109	पलक्कड़	
110	पवागाड़ा	
111	पोंडी	
112	सलेम	
113	सोमानाहल्ली	
114	श्रीपेरुमबुदूर	
115	तिरूनेलवेली	
116	त्रिचूर	
117	ट्रिची	
118	त्रिवेंद्रम	
119	टुमकुर	
120	उदुमलपेट	
121	वेल्लोर	
122	येलहांका	
	उत्तरी क्षेत्र-I	2739
123	कटवारिया सराय, आरएचक्यू	
124	मेरठ	
125	रुड़की	
126	कोटेश्वर	
127	सहारनपुर	
128	मंडोला, गाजियाबाद	
129	बागपत	
130	देहरादून	
131	दादरी, गाजियाबाद	
132	सोनीपत	
133	जींद	
134	बहादुरगढ़	
135	हिसार	
136	भिवानी	
137	भिवाड़ी	
138	गुड़गांव, फाजिलपुर	
139	नीमराना	
140	कोटपुतली	

141	बल्लभगढ़	
142	कोटा	
143	कंकरौली, राजसमंद	
144	भीनमल	
145	झटीकरा	
146	जयपुर साउथ	
147	बस्सी, (जयपुर)	
148	सीकर, राज	
149	अगर, एलटीएस	
150	अजमेर	
151	बीकानेर	
152	चित्तौड़गढ़	
	उत्तरी क्षेत्र-II	
153	नरवल	
154	वगूरा	
155	सरना,	
156	सांबा	
157	पटियाला	
158	पंचकुला	
159	न्यू वनपोह	
160	नालागढ़	1378
161	मोगा	
162	मालेकोटला	
163	लुधियाना	
164	कुरुक्षेत्र	
165	किशनपुर	
166	करतारपुर	
167	कारगिल	
168	काला	
169	अंबाला	
170	कैथल	
171	भटिंडा	
172	अबदुल्लापुर	
173	अमृतसर	
174	बनाला	
175	बनीखेत	
176	बारामूला	
177	बटोटे	
178	चंबा	
179	चंडीगढ़ और मनीमजरा	
180	फतेहाबाद	
181	हमीरपुर	
182	पानीपत	
183	लेह	
	उत्तरी क्षेत्र-III	2116
184	आगरा, एचवीडीसी, एचवीएसी, टीएलएम, ओरैया टीएलएम	
185	अलीगढ़ 765 केवी और टीएलसी	
186	इलाहाबाद 400 केवी, मिर्जापुर टीएलएम, पीओपी	
187	बलिया एचवीडीसी, 400 केवी, 220 केवी, आजमगढ़ टीएलएम	

188	बरेली 765 केवी, 400 केवी	
189	फतेहपुर 765 केवी	
190	गोरखपुर 400/220 केवी	
191	आईपीडीएस, वाराणसी	
192	कानपुर 765 केवी और 400 केवी	
193	लखनऊ 400 केवी और 765 केवी	
194	मैनपुरी 400केवी	
195	ओरई एचवीडीसी और टीएलसी	
196	पिथौरागढ़ 220 केवी, जॉलजीबी 400 केवी	
197	रायबरेली 220/132 केवी	
198	रिहंद एचवीडीसी	
199	शाहजहांपुर 400 केवी	
200	शक्तिनगर टीएलएम	
201	सितारगंज 220/132 केवी	
202	सोहावाल 400 केवी	
203	वाराणसी 765 केवी, टीएल ऑफिस	
204	विंध्याचल एचवीडीसी	
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	
205	शिलॉंग, क्षेत्रीय मुख्यालय	
206	बदरपुर एस/एस	
207	बालीपाड़ा एसएस	
208	बिश्वनाथ चरियाली	
209	बोंगाईगांव	
210	दीमापुर	
211	ख्लेरियाहाट	
212	सिलचर	
213	गुवाहाटी	577
214	नीरजुली	
215	कुमारघाट	
216	इंफाल	
217	आइजॉल	
218	हाफलोंग	
219	जिरीबाम	
220	कोलासिब	
221	मीसा	
222	मोरियानी	
223	नामसाई	
224	रोइंग	
225	तेजू	
226	जीरो	
227	निगमित कार्यालय एवं मानसेर पीएएल	441
	कुल	**19453**

सकल योग (I+II+III+IV): **37455**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-78

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत की कीमत में कमी

78. श्री अनिल देसाई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गैर-परम्परागत ऊर्जा जैसे पवन ऊर्जा, बायो-मास, बायो-गैस तथा सौर ऊर्जा के आगमन के पश्चात् विद्युत की कीमत कम हो गई है;

(ख) क्या कुछ राज्य निजी कंपनियों से महंगी विद्युत खरीद रहे हैं जबकि यह अन्यत्र कम दरों पर उपलब्ध है;

(ग) क्या मंत्रालय ने विद्युत की कीमतों पर निगरानी रखने के लिए कोई सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिससे विद्युत कंपनियां गुण-दोष प्रणाली का अनुपालन करें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यों में इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पैरामीटरों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी, स्थान, पूंजीगत लागत, ईंधन आदि शामिल हैं, पर निर्भर करते हुए विभिन्न लागतों पर विद्युत का उत्पादन ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों से विभिन्न संयंत्रों में किया जाता है। तदनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की लागत भी अलग-अलग होती है। सौर विद्युत के सबसे न्यूनतम प्रशुल्क की खोज भाडला, सौर पार्क, राजस्थान के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान 2.44 रूपए/किलोवाट घंटा पर की गई है।

(ख) : राज्य/विद्युत यूटिलिटियों ने विभिन्न विद्युत क्रय करार किए हैं और सामान्यतया अपनी मांग को पूरा करने के लिए विद्युत की खरीद करने में लागत इष्टतमीकरण सिद्धांत का पालन करते हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने पोसोको और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सहयोग से मेरिट आर्डर निर्धारण एवं डिस्पेच में पारदर्शिता लाने और सर्वाधिक आर्थिक प्रणाली प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक वेब पार्टल और मोबाइल एप तैयार किया है। वेब पार्टल 'मेरिट' (आय और पारदर्शिता के नवीकरण के लिए विद्युत का मेरिट आदेश डिस्पेच) और मोबाइल एप सभी पणधारकों को पारदर्शी रूप से विद्युत की खरीद से संबंधित आंकड़े प्रदर्शित करता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-79

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

बड़ी विद्युत परियोजनाओं को पेश आ रही समस्याएं

79. श्री राजकुमार धूतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि फ्यूल लिंकेज और विद्युत खरीद संबंधी समझौतों के न होने से देश में 25 बड़ी विद्युत परियोजनाओं में बाध उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केवल कर रियायतों से इन बड़ी विद्युत परियोजनाओं के चलने में सहायता नहीं मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के लिए वितरण कंपनियों (डिस्कामों) की बोली विद्युत की आवश्यकता पर निर्भर करती है। कुछ मेगा विद्युत परियोजनाओं के पास विद्युत क्रय करार (पीपीए) अथवा आंशिक पीपीए नहीं है। भारत सरकार ने दिनांक 17.05.2017 को विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले की उपयोगिता और आबंटन) अनुमोदित की है, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ, पारदर्शी बोली प्रक्रिया में भविष्य में किए जाने वाले दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) और मध्यावधि पीपीए के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को कोयला उपलब्ध कराया जाता है।

(ग) और (घ) : मेगा विद्युत नीति के अनुसार, मेगा विद्युत परियोजनाएं कतिपय राजकोषीय रियायतें/लाभ प्राप्त करने की पात्र होती हैं। परियोजनाएं जिन्हें अंनतिम मेगा विद्युत स्थिति का दर्जा प्रदान किया गया है, वे भी इन राजकोषीय रियायतों/लाभों को प्राप्त करने की पात्र हैं, बशर्ते कि इन परियोजनाओं के विकासकर्ता

अनंतिम मेगा प्रमाणपत्र में निर्धारित शर्तों को पूरा करें और 60 माह की अवधि के भीतर कर प्राधिकारियों को अन्तिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। चूंकि अधिकांश विकासकर्ता उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सके, इसलिए भारत सरकार ने उपर्युक्त समय-सीमा को 60 माह से बढ़ाकर 120 माह कर दिया है।

उपर्युक्त के अलावा, विद्युत क्षेत्र में दबाव को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों (डिस्कामों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नअराउण्ड के लिए उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम।
ii. पारेषण बाधाओं को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता का संवर्द्धन।
iii. विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन।
iv. राज्य नीति के अनुसार प्रत्येक घर, उद्योग, वाणिज्यिक व्यवसाय, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्थापना, कोई भी अन्य सार्वजनिक जरूरतें और कृषि उपभोक्ता को पर्याप्त विद्युत के लिए विद्युत की निर्बाध गुणवत्ता लाने के लिए 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए विद्युत (पीएफए) की पहल।
v. निम्नलिखित के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):

- कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- ग्रामीण विद्युतीकरण।

vi. निम्नलिखित के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस):

- शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण।
- शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-80

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का पृथक्करण

80. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अखिल भारत आधार पर तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों का पृथक्करण प्रारंभ किये जाने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सभी हितार्थियों के साथ कोई विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी बारहवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि वाणिज्यिक और तकनीकी हानियों के पृथक्करण की संकल्पना, उन सभी शहरों के लिए, जहां कम्प्यूटराइज्ड डाटा कलेक्शन के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति में लीकेज का पता लगाने और बंद करने के लिए अनुवर्ती उपचारात्मक उपायों हेतु तत्कालीन पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) कार्यान्वित किया गया था, लागू की जानी चाहिए। तद्नुसार, सभी राज्य सरकारों को सभी गो-लिव नगरों में तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों के पृथक्करण के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-81

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

पश्चिमी बंगाल में घरों में चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति

81. श्री विवेक गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के डाटाबेस के अनुसार "गांवों का विद्युतीकरण" परिभाषा वास्तव में गांवों के सभी घरों में चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं करती है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन घरों में चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति की गई है उनके प्रतिशत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमी बंगाल के उन घरों के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है जहां प्रत्येक जिले में चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है; और

(घ) सभी घरों में चौबीस घंटे बिजली की आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार**,** किसी गांव को विद्युतीकृत तभी सूचित किया जाता है**,** यदि**,**

(i) मूलभूत अवसंरचना जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनें बसावट वाले स्थान तथा जहां पर समाज और बस्तियों के कमजोर वर्गों की बस्तियों वाले स्थान हैं, में उपलब्ध कराई जाती है।
(ii) विद्युत स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाती है; और
(iii) विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या गांव में घरों की कुल संख्या का कम से कम 10% होनी चाहिए।

किसी गांव को राज्यों द्वारा विद्युतीकृत तभी घोषित किया जाता है जब वे उपर्युक्त वर्णित मानदण्डों को पूरा करते हों। तथापि, अवसंरचना का स्तर उसी गांव के विभिन्न वासस्थलों में अलग-अलग हो सकता है।

(ख) से (घ) : सभी घरों को 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी का होता है। निम्नलिखित राज्यों ने लगभग पूर्ण घरेलू विद्युतीकरण की सूचना दी हैं। अतः विद्युत की 24 घंटे आपूर्ति उपलब्ध है :-

	राज्य	**% विद्युतीकृत एचएच**
1.	गुजरात	98%
2.	हिमाचल प्रदेश	99%
3.	पंजाब	100%
4.	तमिलनाडु	100%
5.	पश्चिम बंगाल	99%

राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने सभी घरों/आवासों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने और राज्य की नीति के अनुसार, कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेजों की तैयारी के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केंद्र सरकार के साथ "सभी के लिए 24x7 विद्युत" करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) आदि सहित अपनी स्कीमों के माध्यम से राज्य के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-82

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को रोजगार

82. श्री पी. एल. पुनियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भूमि अर्जन से प्रभावित किसानों तथा उनके परिवार को कम्पनियां अपनी परियोजनाओं में कार्य करने के लिए वरीयता देती हैं और यदि हां, तो ऐसे कितने प्रभावित परिवार हैं तथा कितने परिवार हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ख) प्रभावित किसानों में से कितने किसानों को नियमित किया गया है तथा कितने किसान परिवार अभी भी अनियमित रोजगार पर निर्भर हैं; और

(ग) क्या कामगारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, परियोजना प्रभावित किसानों को तथा उनकी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित उन किसानों के परिवारों को रिक्तियों की उपलब्धता तथा प्रभावित लोगों की उपयुक्तता के अध्यधीन प्राथमिकता प्रदान करते हैं। सीपीएसई, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को कंपनी की नीति के अनुसार निर्माण तथा प्रचालन के चरणों के दौरान कान्ट्रेक्ट देने वाली एजेंसियों, छोटी संविदाओं, पीएपी कारपोरेटिव सोसायटियों तथा अन्य स्व-रोजगार अवसरों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार देने की सुविधा भी देते हैं।

(ख) : एनटीपीसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एसजेवीएन, पीजीसीआईएल तथा नीपको द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किसानों सहित 5,658 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को इन सीपीएसई द्वारा परियोजनाओं में नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पारे जल विद्युत परियोजना के भूमि प्रभावित परिवारों के 48 लोगों को नीपको द्वारा कान्ट्रेक्ट के आधार पर रोजगार दिया गया है।

(ग) : विद्युत क्षेत्र सीपीएसई परियोजना क्षेत्र में स्कूलों की स्थापना करते हैं, जहां भूमि प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए भी स्कूल की सुविधाएं दी जाती हैं। अपनी सीएसआर पहल के अन्तर्गत सीपीएसई नजदीकी स्कूलों के लिए अवसंरचना निःशुल्क परिवहन, यूनिफार्म, पुस्तकें, स्टेशनरी इत्यादि भी उपलब्ध कराते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-83

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

ऋण से दबावग्रस्त निजी विद्युत संयंत्रों को बचाने के लिए
'नियन्त्रक कंपनी' की स्थापना

83. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः
श्री टी. जी. वेंकटेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने देश में ऋण-ग्रस्त निजी विद्युत संयंत्रों की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ऋण-ग्रस्त निजी विद्युत संयंत्रों का अधिग्रहण करने तथा कंपनियां चलाने के लिए एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी तथा बैंकों की सहायता से नियन्त्रक कंपनी स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में समीक्षा बैठक के परिणाम के ब्यौरे क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क), (ख) और (घ) : सरकार ने वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार 34 दबावग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के दौरान, सरकार ने विद्युत क्षेत्र में दबाव के प्रमुख कारणों को चिन्हित किया है, जो निम्नानुसार हैं:

(i) नियमित ईंधन आपूर्ति करार न होना - नियमित कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 17.05.2017 को विद्युत क्षेत्र के लिए नई कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात शक्ति (भारत में पारदर्शी रूप से कोयले का प्रयोग करने और आबंटन करने के लिए स्कीम) का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ पारदर्शी बोली प्रक्रिया में भविष्य में निष्कर्ष किए जाने वाले दीर्घावधि विद्युत क्रय करारों (पीपीए) और मध्यावधि विद्युत क्रय करारों के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को कोयला उपलब्ध करवाया जाता है।

(ii) विद्युत क्रय करार (पीपीए) व्यवस्था की कमी - विद्युत की मांग को सुधारने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

क. देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉमों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्न अराउंड के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम।

ख. प्रत्येक घर, उद्योग, वाणिज्यिक व्यापार, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा स्थापना के लिए विद्युत की निर्बाध गुणवत्ता लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए विद्युत (पीएफए) पहल

ग. ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई); ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और गैर कृषि फीडरों का पृथक्करण और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

घ. शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्कों के सुदृढ़ीकरण के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस): शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण।

ङ. पारेषण अवरोधों को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता संवर्द्धन।

च. विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयला के उपयोग में लचीलापन।

(iii) इक्विटी और सेवा ऋण प्रदान करने के लिए प्रवर्तक की असमर्थता।

(iv) विनियमन एवं संविदा संबंधी मामले।

(ग) : पणधारकों के साथ अन्य विकल्पों के साथ-साथ निधि की स्थापना संबंधी मामले पर चर्चा की गई।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-84

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत लक्ष्य

84. श्री नारायण लाल पंचारियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से राजस्थान में विद्युतीकरण पर कितनी राशि खर्च करने का विचार रखती है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को कोई विशिष्ट सहायता दी जाती है; और

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान योजना से कितने परिवारों को लाभ प्राप्त होने की संभावना है और इनमें से कितने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग होंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्थान के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:

गैर-विद्युतीकृत गांव (यूईवी) का विद्युतीकरण - एक
गांव का गहन विद्युतीकरण - 5,996
बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन - 85,686

(ख) : डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत किसी राज्य/जिले को निधियों का कोई अग्रिम आबंटन नहीं किया जाता है। संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां डीडीयूजीजेवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछली किस्त (किस्तों) की राशि के सूचित किए गए उपयोग तथा अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर जारी की जाती है। तथापि, भारत सरकार ने देश में डीडीयूजीजेवाई के लिए वर्ष 2017-18 हेतु 4814 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आबंटित की है।

(ग) और (घ): डीडीयूजीजेवाई के अन्तर्गत, देश में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराई जाती है तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी पात्र घरों को निःशुल्क विद्युत सेवा कनेक्शन उपलब्ध कराए जाते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान देश में 40 लाख बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत सेवा कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-85

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

आन्ध्र प्रदेश में अधिशेष विद्युत बायो मास संयंत्रों का प्रभाव

85. डॉ के. वी. पी. रामचन्द्र रावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में अधिशेष विद्युत की उपलब्धता के कारण कई बायो मास संयंत्र बंद होने के कगार पर थे क्योंकि आन्ध्र प्रदेश ने तेलंगाना को आपूर्ति रोक दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता और उसकी मांग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता तथा मांग का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

30.06.2017 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता

(सभी आंकड़े मेगावाट में)

राज्य	पारंपरिक	आरईएस*	कुल
आंध्र प्रदेश	15658.67	6164.42	21823.09
तेलंगाना	10280.61	1545.88	11826.49

* 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, आरईएस (एमएनआरई) से संबंधित संस्थापित क्षमता

विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विद्युत की मांगः

(मेगावाट में)

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	अप्रैल से जून, 2017 (अनंतिम)
आंध्र प्रदेश	7144	7400	7969	8024
तेलंगाना	7884	6854	9187	7240

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-86

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र की स्थिति

86. श्री के. के. रागेशः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल को कायमकुलम ताप विद्युत संयंत्र सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-87

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

देश में विद्युत उत्पादन और परियोजना के क्रियान्वयन की स्थिति

87. श्री मेघराज जैनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बिजली की मांग और आपूर्ति का मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य के द्वारा स्वयं अपने संसाधनों के साथ उत्पादित बिजली की मात्रा कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय बिजली उत्पादन स्टेशनों से दी गई बिजली की मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए गत दो वर्षों के दौरान कोई बिजली परियोजना स्वीकृत की है तथा यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : चालू वर्ष (अप्रैल, 2017 - जून, 2017) के दौरान, मध्य प्रदेश सहित विद्युत की मांग तथा आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय उत्पादन केंद्रों (शेड्यूल) से दी गई विद्युत की मात्रा क्रमशः **अनुबंध-II** एवं **III** में दी गई है।

(ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत का उत्पादन एक लाइसेंसरहित कार्यकलाप है तथा कोई भी राज्य अथवा उत्पादन कंपनी उत्पादन केंद्र की स्थापना कर सकती है।

तथापि, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अप्रैल, 2015 के बाद सीईए द्वारा 9,632 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 14 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को सहमति प्रदान की गई है। इनका राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2017-18 के लिए विद्युत आपूर्ति (अनंतिम)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2017 - जून, 2017				अप्रैल, 2017 - जून, 2017			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
चंडीगढ़	487	478	9	2	340	340	0	0
दिल्ली	9,345	9,338	7	0.1	6,553	6,526	27	0.4
हरियाणा	12,875	12,875	0	0.0	8,912	8,912	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,326	2,317	9	0.4	1,377	1,377	0	0.0
जम्मू व कश्मीर	4,597	3,669	928	20.2	2,768	2,214	554	20.0
पंजाब	14,015	14,015	0	0.0	10,786	10,786	0	0.0
राजस्थान	16,829	16,723	106	0.6	10,347	10,347	0	0.0
उत्तर प्रदेश	31,942	31,575	367	1.1	18,827	18,061	766	4.1
उत्तराखंड	3,500	3,493	7	0.2	2,027	2,027	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	**95,915**	**94,481**	**1,434**	**1.5**	**53,382**	**52,429**	**953**	**1.8**
छत्तीसगढ़	6,829	6,829	0	0.0	3,888	3,887	1	0.0
गुजरात	29,192	29,192	0	0.0	15,693	15,693	0	0.0
मध्य प्रदेश	16,166	16,166	0	0.0	8,402	8,402	0	0.0
महाराष्ट्र	40,054	40,003	51	0.1	22,542	22,494	48	0.2
दमन व दीव	630	630	0	0.0	342	342	0	0.0
दादर व नागर हवेली	1,525	1,525	0	0.0	771	771	0	0.0
गोवा	1,036	1,036	0	0.0	558	557	1	0.2
पश्चिमी क्षेत्र	**95,433**	**95,382**	**51**	**0.1**	**49,860**	**49,788**	**72**	**0.1**
आंध्र प्रदेश	14,384	14,377	7	0.0	8,024	8,000	24	0.3
तेलंगाना	13,291	13,286	5	0.0	9,009	9,001	8	0.1
कर्नाटक	16,640	16,634	6	0.0	9,992	9,987	5	0.1
केरल	6,394	6,388	6	0.1	3,889	3,862	27	0.7
तमिलनाडु	27,986	27,977	9	0.0	15,001	14,975	26	0.2
पुडुचेरी	703	703	0	0.0	388	387	0	0.1
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**79,399**	**79,365**	**34**	**0.0**	**42,770**	**42,535**	**235**	**0.5**
बिहार	6,797	6,606	191	2.8	4,122	4,021	101	2.5
डीवीसी	5,230	5,221	9	0.2	2,770	2,770	0	0.0
झारखंड	1,969	1,962	7	0.4	1,211	1,211	0	0.0
ओडिशा	7,285	7,283	2	0.0	4,227	4,227	0	0.0
पश्चिम बंगाल	13,627	13,571	56	0.4	7,828	7,828	0	0.0
सिक्किम	106	106	0	0.0	91	91	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	60	45	15	25	40	32	8	20
पूर्वी क्षेत्र	**35,015**	**34,751**	**264**	**0.8**	**19,238**	**19,191**	**47**	**0.2**
अरुणाचल प्रदेश	183	180	3	1.6	145	145	0	0.2
असम	2,227	2,111	116	5.2	1,744	1,623	121	6.9
मणिपुर	184	181	3	1.6	163	161	2	1.2
मेघालय	407	407	0	0.0	304	304	0	0.1
मिजोरम	124	122	2	1.6	86	85	1	0.8
नागालैंड	187	184	3	1.6	147	146	1	0.7
त्रिपुरा	605	592	13	2.1	280	276	4	1.4
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**3,918**	**3,777**	**141**	**3.6**	**2,499**	**2,391**	**108**	**4.3**
अखिल भारत	**3,09,680**	**3,07,755**	**1,925**	**0.6**	**1,59,816**	**1,58,393**	**1,423**	**0.9**

#लक्षदीप और अंडमान एवं निकोबार एकल प्रणाली हैं, इन क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य का अपना सकल उत्पादन

राज्य	उत्पादन (मिलियन यूनिट)		
	2017-18 (अप्रैल-जून)*	2016-17	2015-16
दिल्ली	1118.13	4548.41	3964.66
हरियाणा	2103.7	9486.92	10396.08
हिमाचल प्रदेश	605.99	1293.51	1161.81
जम्मू व कश्मीर	2078.7	4789.6	3980.3
पंजाब	2872.31	9747.67	12343.39
राजस्थान	5777.3	27249.38	27399.94
उत्तर प्रदेश	9257.45	30963.85	28153.73
उत्तराखंड	1246.74	4201.44	4762.86
छत्तीसगढ़	5265.65	18217.32	15603.8
गोवा	0	0	0
गुजरात	7039.66	21370.76	23101.99
मध्य प्रदेश	4123.37	17212.15	20538.42
महाराष्ट्र	14925.1	49921.11	47213.52
आंध्र प्रदेश	6547.37	29085.32	25049.76
कर्नाटक	5466.85	24916.93	25037.87
केरल	1184.07	4115.21	6510.59
पुडुचेरी	56.25	246.84	227.59
तमिलनाडु	7470.13	29112.29	34543.58
तेलंगाना	7101.43	23793.71	16617.61
अंडमान निकोबार	46.4	215.56	182.85
बिहार	36.04	131.42	0
झारखंड	368.09	1453.43	2687.98
ओडिशा	2660.89	8348.87	8027.67
सिक्किम	1133.53	309.42	0
पश्चिम बंगाल	7285.53	27222.58	23430.87
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	368.18	1640.2	1864.37
मणिपुर	0	0	0
मेघालय	221.83	719.6	860.94
नागालैंड	0	0	0
त्रिपुरा	155.7	624.19	739.22

*** वास्तविक-सह-आकलन पर आधारित अनंतिम**

टिप्पणी: 1 केवल 25 मे.वा. एवं इससे अधिक के पारंपरिक स्रोतों (ताप, जल और परमाणु ऊर्जा) से उत्पादन

2. उपरोक्त आंकड़े संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भौगोलिक रूप से स्थित सभी विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र) के सकल उत्पादन को दर्शाते हैं।

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की राज्य-वार मात्रा

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली	2016-17	2015-16
उत्तरी क्षेत्र		
चंडीगढ़	1036.29	991.57
दिल्ली	19323.06	19520.72
हरियाणा	14471.50	13225.44
हिमाचल प्रदेश	6879.98	6800.19
जम्मू व कश्मीर	10627.99	10636.01
पंजाब	18971.96	18790.36
राजस्थान	17734.24	17800.98
उत्तर प्रदेश	37021.07	39718.29
उत्तराखंड	5443.20	5536.44
पश्चिमी क्षेत्र		
छत्तीसगढ़	7491.32	7474.19
गुजरात	26134.32	32370.59
मध्य प्रदेश	26932.74	35878.95
महाराष्ट्र	33100.10	33618.60
दमन व दीव	1586.63	1868.65
दादरा व नागर हवेली	3412.69	3811.64
गोवा	3292.07	3423.26
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	11598.87	12476.72
तेलंगाना	12813.12	14890.68
कर्नाटक	19480.65	15666.53
केरल	10574.77	11595.43
तमिलनाडु	33062.04	29716.64
पुडुचेरी	2587.65	2423.49
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	18252.19	15949.85
झारखंड	3817.31	3096.47
ओडिशा	8280.89	7448.19
पश्चिम बंगाल	7108.90	6809.62
सिक्किम	817.89	773.25
पूर्वोत्तर क्षेत्र		
अरुणाचल प्रदेश	727.09	601.71
असम	5929.27	4231.95
मणिपुर	968.36	747.60
मेघालय	793.25	937.15
मिजोरम	542.94	409.57
नागालैंड	658.42	532.42
त्रिपुरा	1624.03	1360.63

****

अनुबंध-IV

राज्य सभा में दिनांक 17.07.2017 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

अप्रैल, 2015 से सीईए द्वारा सहमति दी गई/मूल्यांकित हाइड्रो इलैक्ट्रिक स्कीमों की सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
	जम्मू व कश्मीर			
1.	किरू	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपीएल	624
2.	स्वालकोट	राज्य	जेकेपीडीसी	1856
3.	किरथई-II	राज्य	जेकेपीडीसी	930
4.	क्वार	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	540
	उप-जोड़			**3950**
	हिमाचल प्रदेश			
5.	सेली	निजी	एसएचपीसीएल	400
6.	सच खास	निजी	एलएंडटी एचएचपीएल	267
7.	दुगर	निजी	डीएचपीएल	449
	उप-जोड़			**1116**
	पश्चिम बंगाल			
8.	टुर्गा पीएसपी	राज्य	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	1000
	उप-जोड़			**1000**
	अरुणाचल प्रदेश			
9.	हियो	निजी	एचएचपीपीएल	240
10.	टाटो-I	निजी	एसएचपीपीएल	186
11.	टगुरशिट	निजी	एलएंडटी	74
12.	दिबांग	केंद्रीय	एनएचपीसी	2880
	उप-जोड़			**3380**
	असम			
13.	लोअर कोपिली	राज्य	एजीपीसीएल	120
	उप-जोड़			**120**
	मणिपुर			
14.	लोकटक डाउनस्ट्रीम	केंद्रीय	एलडीएचसीएल	66
	उप-जोड़			**66**
	कुल			**9632**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-88

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

सौर विद्युत परियोजनाओं पर अंतर-राज्यीय आपूर्ति प्रभारों का अधित्याग

88. श्री एन. गोकुलकृष्णनः
डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचूः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सौर विद्युत परियोजनाओं पर अंतर-राज्यीय आपूर्ति प्रभारों का अधित्याग करने का निर्णय लिया है जिससे यह व्यवहार्य बन सकें तथा ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14 जून, 2017 के आदेश के माध्यम से 31.12.2019 तक चालू की गई ऐसी परियोजनाओं द्वारा अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क का उपयोग करने के लिए सौर संसाधनों पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं के लिए ऐसी परियोजनाओं के चालू किए जाने की तिथि से 25 वर्षों की अवधि के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों के लिए छूट प्रदान की है।

ऐसी छूट केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होगी, जो अपने नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) की अनुपालना के लिए डिस्कामों के साथ पीपीए करती है और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अवार्ड की जाती है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-89

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों की व्यावहारिकता

89. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मीडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के ताप विद्युत संयंत्र आर्थिक रूप से अव्यावहारिक हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के ताप विद्युत संयंत्रों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक तथा लाभप्रद बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

I. विद्युत क्षेत्र के लिए पारदर्शी कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात भारत में पारदर्शी रूप से कोयले के उपयोग और आबंटन के लिए स्कीम (शक्ति) के माध्यम से कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करना।
II. अनन्तिम मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए संशोधित मेगा विद्युत नीति।
III. देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों (डिस्कामों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नअराउण्ड के लिए उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम।
IV. पारेषण बाधाओं को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता संवर्द्धन।
V. विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-90

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र पर नोटबंदी का प्रभाव

90. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नोटबंदी विद्युत क्षेत्र के लिए सकारात्मक घटना साबित हुई है और वितरण कंपनियां अपने ग्राहकों से बिजली के बकाया बिलों की वसूली कर रही हैं;

(ख) क्या विद्युत क्षेत्र को भी अन्य क्षेत्रों के साथ ऋण के नियमों में छूट देने तथा ब्याज दर को कम करने का लाभ होगा;

(ग) क्या बैंकों के पास अचानक अत्यधिक मात्रा में धन आ गया है जिस कारण वे सभी विद्युत क्षेत्र को नियमों में छूट देकर ऋण दे सकते हैं और इससे ब्याज दरें कम होने की संभावना है जो विद्युत क्षेत्र के लिए लाभकारी होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार, 10 नवंबर, 2016 से 15 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के लिए विद्युत बकाया का संग्रह पिछले वर्ष की संगत अवधि में 26,722.01 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 29,111.70 करोड़ रुपए था।

(ख) से (घ) : उधार की ब्याज दरें बैंकों के वाणिज्यिक निर्णय होते हैं जो तरलता, क्षेत्रीय जोखिमों और निवेश परिवेश सहित कई कारकों पर निर्भर करते हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-91

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा पुराने संयंत्रों का प्रतिस्थापन

91. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) 25 साल से पुराने संयंत्रों को बदलने के लिए 50,000 करोड़ रुपए व्यय करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पुराने हो चुके संयंत्रों को अधिक कार्यक्षम तथा कम प्रदूषण करने वाली आधुनिक इकाइयों से बदलने का विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : सामान्यतः ताप विद्युत उत्पादन केंद्रों का जीवनकाल 25 वर्ष माना जाता है और संयंत्र की स्थिति पर निर्भर करते हुए दीर्घावधि तक प्रचालित किए जा सकते हैं। पुराने संयंत्रों की समीक्षा और उन्हें बंद करना एक सतत प्रक्रिया है। एनटीपीसी राज्यों से विद्युत की मांग के मानदंड के आधार पर नए संयंत्र स्थापित करती है। वर्तमान में एनटीपीसी पतरातु, तालचेर ताप विद्युत और सिंगरौली में नए उच्च क्षमता वाले अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल संयंत्रों की स्थापना करने की कार्रवाई कर रहा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-92

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

अवरुद्ध विद्युत इकाइयों के पुनरुद्धार के लिए योजना

92. श्री आनन्द शर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत उत्पादन क्षेत्र में अधिकांश आस्तियां अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत हो चुकी हैं;

(ख) क्या सरकार अवरुद्ध विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार की योजना को लागू करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और योजना किस लक्ष्यांकित अवधि तक क्रियान्वित हो जाएगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी**,** नहीं।

(ख) और (ग) : सरकार ने विद्युत क्षेत्र में दबाव को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

i. विद्युत क्षेत्र के लिए अधिक पारदर्शी कोयला आबंटन नीति, 2017 अर्थात भारत में पारदर्शी रूप में कोयले (कोल) का प्रयोग करने और आबंटन के लिए स्कीम (शक्ति) के माध्यम से कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करना।

ii. देश की विद्युत वितरण यूटिलिटियों (डिस्कामों) के वित्तीय और प्रचालनात्मक टर्नअराउण्ड के लिए उज्जवल डिस्काम एश्योरेंस योजना (उदय) स्कीम।

iii. पारेषण अवरोधों को दूर करने के लिए पारेषण क्षमता को बढ़ाना।

iv. विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन।

v. राज्य नीति के अनुसार प्रत्येक घर, उद्योग, वाणिज्यिक व्यवसाय, लघु एवं मध्यम उद्यम और स्थापना, कोई भी अन्य सार्वजनिक जरूरतें और कृषि उपभोक्ता को पर्याप्त विद्युत के लिए विद्युत की निर्बाध गुणवत्ता लाने के लिए 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी के लिए विद्युत (पीएफए) की पहल।

vi. निम्नलिखित के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई):

- कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण।
- ग्रामीण क्षेत्र में वितरण ट्रान्सफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- ग्रामीण विद्युतीकरण।

vii. निम्नलिखित के लिए एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस):

- शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्कों का सुदृढ़ीकरण।
- शहरी क्षेत्र में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।
- वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

****